

न्यायालय कलेक्टर (नजूल), जिला-छतरपुर (म०प्र०).

रा०प्र०क्र० ००५२/अ-२०(१)/२०२४-२०२५

कार्यपालन यंत्री,

लो.नि.वि.रा.रा. संभाग सागर, (म०प्र०)

आवेदक

बनाम

मध्यप्रदेश शासन

अनावेदक

आदेश

( पारित दिनांक २४.६.२५ )

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण यह है कि कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि.रा.रा.संभाग सागर, (म०प्र०) के पत्र क्रमांक 1388/व.ले.लि./2024-25 सागर दिनांक 24/06/2024 से गुलगंज-अमानगंज-पवई-कटनी राष्ट्रीय राजमार्ग 43 (विस्तार) के खण्ड क्रमांक-5 कि०मी० 43+00 से 77+00 बराना नदी से केन नदी (अमानगंज) तक मार्ग का उन्नयन एवं चौड़ीकरण किये जाने में वन भूमि कुल रकवा 44.500हे० प्रभावित होने से ग्राम-किशनगढ़ तहसील बिजावर स्थित भूमि खसरा नं० 69 रकवा 6.248हे०, ख०नं० 101 रकवा 11.384हे०, ख०नं० 70 रकवा 8.571हे०, ख०नं० 72 रकवा 12.885हे०, ख०नं० 80 रकवा 9.105हे०, ख०नं० 95 रकवा 6.046हे०, ख०नं० 94 रकवा 9.894हे० कुल किता-7 कुल रकवा 64.133 हे० मेंसे 44.500हे० समतुल्य गैर वन भूमि वन विभाग को मध्य प्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश दिनांक 24/09/2020 के अनुसार निहित प्रावधानों के अंतर्गत प्ररूप-एक पर आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर, पन्ना टाईगर रिजर्व, पन्ना को हस्तांतरित किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

तहसीलदार तहसील बिजावर द्वारा प्रकरण क्रमांक 0101/बी-121/2024-25 प्रतिवेदन दिनांक 31/07/2024 में प्रतिवेदित किया है कि प्राप्त प्रस्ताव पर इशतहार का प्रकाशन कराया गया जिस पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। उपसंचालक, पन्ना टाईगर रिजर्व पन्ना ने क्रमांक/तकनीकी/2024/1379 पन्ना दिनांक 24/07/2024 एवं ग्राम पंचायत किशनगढ़ की सहमति संलग्न है। गुलगंज-अमानगंज-पवई-कटनी राष्ट्रीय राजमार्ग 43 (विस्तार) के उन्नयन एवं चौड़ीकरण में वनभूमि के बदले समतुल्य राजस्व भूमि ग्राम-किशनगढ़ स्थित भूमि खसरा नं० 69 रकवा 6.248हे० मेंसे 4.248हे० मद वन म०प्र० शासन, ख०नं० 70 रकवा 8.571हे० मद वन म०प्र० शासन, ख०नं० 72 रकवा 4.551हे० मद वन म०प्र० शासन, ख०नं० 80 रकवा 9.150हे० मद पहाड़ म०प्र० शासन, ख०नं० 94 रकवा 6.633हे० मद पहाड़ म०प्र० शासन चारागाह, खसर नं० 101 रकवा 11.384हे० मद पहाड़ म०प्र० शासन कुल किता 06 कुल रकवा 44.537हे० वन विभाग की सीमा से लगी हुई है। खसरा नं० 69, 70, 72 अभिलेख में मद वन के रूप में दर्ज है जो राजस्व भूमि है। ग्राम-किशनगढ़ का भौगोलिक रकवा 1177.103हे० कुल निजी खाते का रकवा 211.813हे० ग्राम में चरनोई का कुल रकवा 52.410हे० है। 02 प्रतिशत चरनोई का रकवा 23.542हे० है। खसरा नं० 94 रकवा 6.633हे० मद परिवर्तन कर आवंटित की जा सकती है। उपसंचालक, पन्ना टाईगर रिजर्व पन्ना ने क्रमांक/तकनीकी/2024/1379 पन्ना दिनांक 24/07/2024 एवं ग्राम पंचायत किशनगढ़ की सहमति संलग्न कर ग्राम-किशनगढ़ स्थित भूमि खसरा नं० 69 रकवा 6.248हे० मेंसे 4.248हे०

मद वन म०प्र० शासन, ख०नं० 70 रकवा 8.571हे० मद वन म०प्र० शासन, ख०नं० 72 रकवा 4.551हे० मद वन म०प्र० शासन, ख०नं० 80 रकवा 9.150हे० मद पहाड़ म०प्र० शासन, ख०नं० 94 रकवा 6.633हे० मद पहाड़ म०प्र० शासन चारागाह, खसर नं० 101 रकवा 11.384हे० मद पहाड़ म०प्र० शासन कुल किता 06 कुल रकवा 44.537हे० भूमि ( वन विभाग) पन्ना टाइगर रिजर्व पन्ना को म०प्र० नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश, 2020 दिनांक 24/09/2020 के तहत आवंटन किये जाने हेतु प्रकरण अनुशंसा सहित अनुविभागीय अधिकारी(रा०) बिजावर को प्रेषित किया।

अनुविभागीय अधिकारी(रा०) बिजावर द्वारा प्र०क्र० 1385/बी-121/2024-25 प्रतिवेदन दिनांक 31/07/2024 में तहसीलदार तहसील बिजावर के प्रतिवेदन से सहमत होकर ग्राम-किशनगढ़ स्थित भूमि खसरा नं० 69 रकवा 6.248हे० मेंसे 4.248हे० मद वन म०प्र० शासन, ख०नं० 70 रकवा 8.571हे० मद वन म०प्र० शासन, ख०नं० 72 रकवा 4.551हे० मद वन म०प्र० शासन, ख०नं० 80 रकवा 9.150हे० मद पहाड़ म०प्र० शासन, ख०नं० 94 रकवा 6.633हे० मद पहाड़ म०प्र० शासन चारागाह, खसर नं० 101 रकवा 11.384हे० मद पहाड़ म०प्र० शासन कुल किता 06 कुल रकवा 44.537हे० भूमि पन्ना टाइगर रिजर्व पन्ना को भूमि आवंटन किये जाने हेतु प्रकरण अनुशंसा सहित प्राप्त।

जिला नजूल निर्वर्तन समिति की बैठक दिनांक 12/08/2024 को आयोजित की गई जिसमें उपस्थित सदस्यों द्वारा पन्ना टाइगर रिजर्व पन्ना की गुलगंज-अमानगंज-पवई-कटनी राष्ट्रीय राजमार्ग 43 (विस्तार) के खण्ड क्रमांक-5 कि०मी० 43+00 से 77+00 बराना नदी से केन नदी (अमानगंज) तक मार्ग का उन्नयन एवं चौड़ीकरण किये जाने में वन भूमि कुल रकवा 44.500हे० प्रभावित होने से उसके बदले ग्राम-किशनगढ़ स्थित ख०नं० 69 रकवा 6.248हे० मेंसे 4.248हे० मद वन म०प्र० शासन, ख०नं० 70 रकवा 8.571हे० मद वन म०प्र० शासन, ख०नं० 72 रकवा 12.885हे० मेंसे रकवा 4.551हे० मद वन म०प्र० शासन, ख०नं० 80 रकवा 9.105हे० मद पहाड़ म०प्र० शासन, ख०नं० 94 रकवा 9.894हे० मेंसे रकवा 6.633हे० मद पहाड़ म०प्र० शासन चारागाह, खसरा नं० 101 रकवा 11.384हे० मद पहाड़ म०प्र० शासन एवं चारागाह की मद परिवर्तन कर कुल किता 06 कुल रकवा 44.492हे० हस्तांतरित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

नजूल अधिकारी जिला छतरपुर के प्रतिवेदन दिनांक 28/08/2024, अनुविभागीय अधिकारी(रा०) बिजावर के प्रतिवेदन दिनांक 31/07/2024 एवं तहसीलदार तहसील बिजावर के प्रतिवेदन दिनांक 31/07/2024 तथा जिला नजूल निर्वर्तन समिति के निर्णय दिनांक 12/08/2024 के आधार पर गुलगंज-अमानगंज-पवई-कटनी राष्ट्रीय राजमार्ग 43 के विस्तार एवं पुर्ननिर्माण में प्रभावित रकवा 44.500हे० के एवज में ग्राम-किशनगढ़ स्थित खसरा नं० 94 रकवा 9.894हे० मेंसे रकवा 6.633हे० मद पहाड़ चारागाह दर्ज होने से मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा-237(3) के प्रावधानों के तहत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग एवं मद चारागाह से परिवर्तित करते हुये म०प्र० नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश, 2020 दिनांक 24 सितम्बर, 2020 की कण्डिका 16 एवं 17 के तहत ग्राम-किशनगढ़, रा०नि०म० देवरा तहसील बिजावर स्थित भूमि खसरा 69 रकवा 6.248हे० मेंसे 4.248हे० मद वन म०प्र० शासन, ख०नं० 70

रकवा 8.571हे0 मद वन म0प्र0 शासन, ख0नं072 रकवा 12.885हे0 मेंसे रकवा 4.551हे0 मद वन म0प्र0 शासन, ख0नं0 80 रकवा 9.105हे0 मद पहाड़ म0प्र0 शासन, ख0नं0 94 रकवा 9.894हे0 मेंसे रकवा 6.633हे0 मद पहाड़ म0प्र0 शासन चारागाह, खसरा नं0 101 रकवा 11.384हे0 मद पहाड़ म0प्र0 शासन कुल किता 06 कुल रकवा 44.492हे0 भूमि क्षतिपूरक वनीकरण हेतु उपरोक्त शासकीय भूमि पन्ना टाईगर रिजर्व, पन्ना को निम्नांकित शर्तों के आधार पर हस्तांतरित की जाती है।

शर्तें:-

- 1- विषयांकित प्रयोजन से भूमि का उपयोग भिन्न प्रयोजन में नहीं किया जायेगा।
- 2- प्रश्नाधीन भूमि पर स्थित वृक्षों की कटाई की अनुमति सक्षम प्राधिकारी से ली जाना आवश्यक होगी।
- 3- किसी भी प्रकार के निर्माण के पूर्व आवंटित को स्थानीय निकायों/विभागों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेना आवश्यक होगा।
- 4- पर्यावरण प्रदूषण का पर्याप्त ध्यान रखा जाना आवश्यक होगा।
- 5- कलेक्टर या उसके प्रतिनिधि को भूमि के उपयोग के संबंध में प्रवेश करने एवं निरीक्षण करने का अधिकारी होगा।

- 6- प्रस्तावित भूमि यदि मौके पर वन भूमि पाई जाती है तो आवेदक सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बगैर भूमि का उपयोग विषयांकित प्रयोजन हेतु नहीं करेंगे।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन होने पर आदेश स्वमेव शून्यवत हो जायेगा।

तहसीलदार तहसील बिजावर को आदेशित किया जाता है कि आदेशानुसार भूमि का मौके पर सीमांकन कर, कब्जा सौपते हुये हस्तांतरित भूमि नक्शों में चिन्हित कर राजस्व अभिलेखों को अद्यतन करते हुये पालन प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करें।

*Pany*  
( पार्थ जैसवाल )

कलेक्टर,

जिला छतरपुर (म0प्र0).

छतरपुर, दिनांक 28/08/2024

पृ.क्र0 0042/अ-20(1)/नजूल/2024-25

प्रतिलिपि:-

- 1- प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, "मंत्रालय" वल्लभ भवन, भोपाल।
- 2- कमिश्नर, सागर संभाग, सागर।
- 3- क्षेत्र संचालक, पन्ना टाईगर रिजर्व, पन्ना।
- 4- उपसंचालक, पन्ना टाईगर रिजर्व, पन्ना।
- 5- अनुविभागीय अधिकारी(रा0) बिजावर, जिला छतरपुर, म0प्र0 की ओर सूचनार्थ।
- 6- कार्यपालन यंत्री, लो0नि0वि0रा0रा0 संभाग सागर(म0प्र0)।
- 7- तहसीलदार तहसील बिजावर को पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

*Pany*  
कलेक्टर,  
जिला छतरपुर (म0प्र0).



**खसरा**

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

ग्राम: किशनगढ़			पटवारी हल्का: किशनगढ़			तहसील: विजावर			जिला: छतरपुर		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल के अधीन क्षेत्रफल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्राप्ति 2. भूमि पर संरचना / वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1591236742 82EV31DCNZJYHO	69/2 (S)		4.2480 हेक्टेयर  रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0042/अ-20(1)/2024-25, आदेश दि. 28/08/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित    म.प्र.शासन

नोट :-

- यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है |
- इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है |



**खसरा**

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

ग्राम:किशनगढ़			पटवारी हल्का:किशनगढ़			तहसील:विजावर			जिला:छतरपुर		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिट आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल के अधीन क्षेत्रफल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्राप्ति 2. भूमि पर संरचना / वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियों 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1083732399 82EV53DCNR72HO	70 (S)		8.5710 हेक्टेयर  वन 8.571  रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0042/ अ-20(1)/2024-25, आदेश दि. 28/08/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित    म.प्र.शासन

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है |
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है |



**खसरा**

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

ग्राम: किशुनगढ़			पटवारी हल्का: किशनगढ़			तहसील: विजावर			जिला: छतरपुर		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक (ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विलगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल के अधीन क्षेत्रफल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्राप्ति 2. भूमि पर संरचना / वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियों 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1591236753 82F08TDCNSUNHO	72/2 (S)		4.5510 हेक्टेयर  रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0042/अ-20(1)/2024-25, आदेश दि. 28/08/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित    म.प्र.शासन

नोट :-

- यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है ।
- इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है ।



**खसरा**

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

ग्राम:किशनगढ़			पटवारी हल्का:किशनगढ़			तहसील:विजावर			जिला:छतरपुर		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिट आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विलगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल के खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना / वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1094345313 82EZGEDCNS1BHO	80 (S)		9.1050 हेक्टेयर  पहाड 9.1050  रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0042/अ-20(1)/2024-25, आदेश दि. 28/08/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित    म.प्र.शासन

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है ।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है ।



**खसरा**

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

ग्राम:किशुनगढ़			पटवारी हल्का:किशनगढ़			तहसील:विजावर			जिला:छतरपुर		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विलगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल के अधीन क्षेत्रफल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्राप्ति 2. भूमि पर संरचना / वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियों 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1591236729 82EQP7DCNTH2H0	94/2 (S)		6.6330 हेक्टेयर  रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0042/अ-20(1)/2024-25, आदेश दि. 28/08/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित    म.प्र.शासन चारागाह निस्तार पत्रक

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है |
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है |



**खसरा**

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

ग्राम: किशुनगढ़			पटवारी हल्का: किशनगढ़			तहसील: विजावर			जिला: छतरपुर		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विलगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल के अधीन क्षेत्रफल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्राप्ति 2. भूमि पर संरचना / वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1115709726 82ESEDDCNPD2H0	101 (S)		11.3840 हेक्टेयर  पहाड 11.3840  रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0042/ अ-20(1)/2024-25, आदेश दि. 28/08/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित    म.प्र.शासन

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है |
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है |